RTI

प्रेषक

राज्य जन सूचना अधिकारी–कम–अधीक्षक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

Anandhi Viswanathan,
Policy Analyst Centre for Internet and Society,
No. 194, 2nd C Cross, Domlur 2nd stage, Bengalure 560071
Tel: 918040926283 Fax 918025350955
Website : www.cis-india. org.

क्रमांक एच02/एस0जे0ई0/ 2012 23041 चण्डीगढ़, दिनांक 7-12-12

विषयः **Reg. Information required on the Laws, Policicies, Programmes, Schemes and other initiatives for Persons with Disabilities in Haryana.**

आपके पत्र क्रमांक दिनांक 14–11–2012 के संदर्भ में ।

हरियाण राज्य के निःशक्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं एवं इन्हें प्रदान की जा रही सुविधाओं बारे मांगी गई सूचना आपके **Website: www.cis-india.org** पर भेजी जाती है ।

5/12

राज्य जन सूचना अधिकारी–कम–अधीक्षक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ । 3/12/2012

विकलांग कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं का विवरण ।

विकलांग पैशंन

विकलांग पैशंन योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के ऐसे विकलांग व्यक्तियों जिनकी विकलांगता कम से कम 70 प्रतिशत हो तथा 18 वर्ष से अधिक आयु वाले विकलांगों को ₹ 500/– प्रतिमाह की दर से विकलांग पैंशन दी जा रही है । सरकार द्वारा नेत्रहीनों, मूक व बधिरों,मानसिक विकलांगो तथा 100 प्रतिशत शारीरिक विकलांगों की पैंशन 750/– प्रतिमास की दर से प्रदान की जाती है ।

2 राजकीय अन्ध विद्यालय, पानीपत

राज्य के 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के नेत्रहीन बच्चों, लड़कों एव लड़कियों के लिये पानीपत में एक आवासीय विद्यालय चलाया जा रहा है। यहाँ दसवीं कक्षा तक शिक्षण–प्रशिक्षण के साथ–साथ किताबें, रहन–सहन, खान–पान तथा अन्य सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा रही हैं। इस संस्थान में ऐसे नेत्रहीन विद्यार्थियों जो 10+1 व 10+2 कक्षा में अन्य विद्यालयों में पढ़ते हैं, को भी निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान की जाती हैं । इस समय 74 छात्र तथा 23 छात्रायें इस संस्थान में रह कर लाभ प्राप्त कर रहें हैं ।

3. प्रौढ़ नेत्रहीन प्रशिक्षण केन्द्र, पानीपत

राज्य के 18 से 45 वर्ष तक के नेत्रहीन व्यक्तियों के लिये पानीपत में कुर्सी बुनना, खड्डी चलाना, मोमबत्ती बनाना व संगीत इत्यादि में 3 वर्ष के लिये व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । इस केन्द्र में कम्पयूटर प्रशिक्षण कक्ष की भी स्थापना की गई है। इस केन्द्र में आवास के अतिरिक्त खान–पान की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है।

4. विकलांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति योजना

इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों/कालेजों/ विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत् सभी प्रकार के विकलांग विद्यार्थियों को, जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक है, को निम्न अनुसार छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैः–

1. पहली से चौथी कक्षा 400/–रू0 प्रतिमास
2. पांचवी से आठवीं कक्षा 500/–रू0 प्रतिमास
3. नौंवीं से 10+2 कक्षा के विद्यार्थियों को 600/–रू॰ प्रतिमास एवं नेत्रहीन आवासीय छात्रों के लिए 600/– रू0 तथा वाचक भत्ता 300/–रू0 प्रतिमास।
4. बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0काम के विद्यार्थियों को 600/–रू॰ प्रतिमास एवं दृष्टिविहीन आवासीय छात्रों के लिए 800/–रू॰ तथा वाचक भत्ता॰400/–रू0 प्रतिमास।
5. बी0ई0/बी0टैक/एम0बी0बी0एस0/एल0एल0बी0/बी0एड व अन्य व्यवसायिक कोर्सिज के विद्यार्थियों को 800/–रू0 प्रतिमास एवं दृष्टिविहीन आवासीय छात्रों के लिए 1000/–रू0 तथा वाचक भत्ता 500/–रू0 प्रतिमास।
6. स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को 1000/– रू0 प्रतिमास एवं दृष्टिविहीन आवासीय छात्रों के लिए 1000/–रू0 तथा वाचक भत्ता 500/–रू0 प्रतिमास।

5. शिक्षित विकलांगों को बेरोज़गारी भत्ता

इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 70 प्रतिशत विकलांगता या इससे अधिक शिक्षित विकलांग बेरोज़गार, जिनकी शैक्षणिक योग्यता मिडल पास, डिप्लोमा होल्डर, मैट्रिक या इससे अधिक हैं, को रोज़गार कार्यालय में नाम पंजीकरण की तिथि से बेरोज़गारी भत्ता क्रमशः 200/–रू0, 250/–रू0 व 300/–रू0 प्रतिमास की दर से दिया जाता है तथा 100 प्रतिशत विकलांगता वाले, जिनकी शैक्षणिक योंग्यता 10+2, स्नातक तथा स्तनाकोत्तर है, उन्हें क्रमशः 1000/– 1500/– 2000/–रुपये प्रतिमास बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है ।

स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता

हरियाणा राज्य में औपचारिक शिक्षा से वंचित ऐसे 18 वर्ष से कम आयु के मन्दबुद्वि बच्चों जिनकी बौद्धिक क्षमता ;आई. क्यू0 50 से अधिक न हो अथवा उनकी विकलांगता 70 प्रतिशत या इससे अधिक हो, तथा जो स्कूल जाने में असमर्थ हैं को 700/–रूपये प्रतिमास की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

7. राज्य विकलांग पुरस्कार योजना

इस योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ निःशक्त कर्मचारियों/स्वःरोजगार चलाने वाले/निःशक्त व्यक्तियों के नियोक्ता एवं निःशक्त के प्लेसमैन्ट अधिकारियों एवं निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिवर्ष राज्य पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं :

Employees Award

Sr.No.	Sub Category of Award	Nature of Award and No. of Award	Composition of Award
1	Best Employee in Govt. Sector/PSUs of State Govt.	(i) Ist Prize (one) (ii)2nd Prize (one)	₹ 15,000/- Plus a shield and scroll ₹ 10,000/- Plus a shield and scroll
2	Best Employee in Private Sector	(i) Ist Prize (one) (ii)2nd Prize (one)	₹ 15,000/- Plus a shield and scroll ₹ 10,000/- Plus a shield and scroll
3	Self Employeed	Prize (one)	₹ 10,000/- Plus a shield and scroll

II **Employer Award**

1	Best Employer in Govt.Deptts./ PSUs.	Prize (one)	₹ 25,000/- Plus a shield and scroll
2	Best Employer (Private)	Prize (one)	₹ 25,000/- Plus a shield and scroll
3	Best Placement Agency/Officer(Govt./ Private)	Prize (one)	₹ 15,000/- Plus a shield and scroll

III **Best Individual**

1	Best Individual	Prize (one)	₹ 25,000/- Plus a shield and scroll

IV **Best Institution**

1	Best Institution	Prize (one)	₹ 25,000/- Plus a shield and scroll

V **Barrier-free Environment (Govt./PSU/Private Instituations including industry, trade etc.**

1	Barrier-free Environment (Govt./PSU/Private Institutions including industry, trade etc.	--	shield and scroll

VI **Creative Award**

1	One for best male disabled creative Person adult and one female	Prize (one) for male Prize (one) for female	₹ 25,000/- each ₹ 25,000/- each
2	One boy below 18 best creative Child One girl below 18 best creative child	Prize (one) for male Prize (one) for female	₹5,000/- each Plus a medal and a scroll ₹5,000/- each Plus a medal and a scroll

स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान

विकलांग कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है, इनमें प्रमुख स्वैच्छिक संस्थायें हरियाणा साकेत कौंसिल, चण्डीमन्दिर, मूक एवं बधिर विकलांग कल्याण समिति, पंचकूला हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, पंचकुला, भारतीय रैडक्रास समिति, हरियाणा शाखा जिला रैडक्रास सोसायटीज़, राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ, फरीदाबाद, सनातन धर्म अन्ध विद्यालय, अम्बाला कैन्ट, ब्रेल लाईब्रेरी, बहाहदुरगढ़ इत्यादि हैं। सरकार द्वारा यह अनुदान प्रत्येक वर्ग के विकलांग व्यक्तियों के उपचार, पुनर्वास, शिक्षण–प्रशिक्षण, रख–रखाव तथा अमले के वेतन तथा राशनमनी के रूप में एवं विकलांग रोगियों के कल्याण के लिये प्रदान किया जाता है।

9 राज्य स्तरीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवम अनुसंधान संस्थान, रोहतक ।

हरियाणा सरकार द्वारा मन्दबुद्धि विकलांगों के पूर्ण पुनर्वास हेतु रोहतक में राज्य स्तरीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान रोहतक संचालित किया जा रहा है। इस संस्थान में मन्दबुद्धि विकलांगों को सभी प्रकार की सुविधायें यथा पहचान, रोकथाम प्रयत्न, चिकित्सा हर प्रकार की थरैपी, अभिभावक परामर्श एवम प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षा प्रशिक्षण आवासीय सुविधायें व्यवसायिक प्रशिक्षण, विशेष शिक्षा में डिप्लोमा, डिग्री कोर्सिज, आदि कार्यक्रम नवीनतम विधियों में शोध आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ।

10 केअरगिवर्स का विस्तार

इस योजना के अन्तर्गत बहु विकलांगता वाले बच्चों की देखभाल करने के लिए केयरगिवर्स की नियुक्ति की जाती है ।

11. स्थानीय स्तरीय समितियों को धन उपलब्ध कराना

इस योजना के अन्तर्गत बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों की सम्पति सम्बन्धी सुरक्षा के लिए संरक्षक हेतु स्थानीय स्तरीय समितियों को धन उपलब्ध करवाया जाता है ।

12 बीमा योजना (निरमया)

बीमा योजना (निरमया) के अन्तर्गत ऑटिज्म, सैरेब्राल पाल्सी, मैन्टल रिटार्डेशन व बहुविकलांगता वाले 15000/–रू0 मासिक से कम आय वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं ।

13. मानसिक रूप से विक्षिप्त मंदबुद्धि बच्चों के जीवन प्रयन्त पुनर्वास हेतु (घरौंदा योजना)

मानसिक रूप से विक्षिप्त मंदबुद्धि बच्चों के जीवन प्रयन्त पुनर्वास हेतु एक गृह का निर्माण राज्य पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान रोहतक में करने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए भवन के निर्माण हेतु नक्शा/प्लॉन इत्यादि तैयार करवाने बारे वास्तुकला विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है

———

Subject	Information required on the Laws policies programme, scheme for person with diability in haryana
From	"Director, SJE" <sje@hry.nic.in>
Date	Friday, December 7, 2012 11:48 am
To	nirmita@cis-india.org

Anandhi Viswanathan,
Policy Analyst

P.F.A

Regards
DGSJE